कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 0809009

पत्र संख्या-चे0पो0-25-क -परिपत्र -वैट व्यवस्था-2007-2008// 90 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(चेक पोस्ट-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनॉक :: 17 अप्रैल, 2008

समस्त एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(SIB/कार्य/ अपील/उच्च न्या0कार्य/सर्वोच्च न्या0कार्य)वाणिज्यकर, उ0प्र0।
समस्त डिप्टी कमिश्नर(चे0पो0/ प्रवर्तन/ SIB/क0नि0/राज्य प्रतिनिधि/वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्यकर अधिकारी, उ0प्र0।

Key word EVASION / TAX EVASION

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या- चे0पो0 -25क- परिपत्र वैट व्यवस्था 2007-08 / 2566/वाणिज्य कर दिनांक 25-03-2008 जिसके द्वारा दिनांक 01-1-08 सें वैट व्यवस्था लागू हो जाने के क्रम में व्यापारियों द्वारा जारी किए गए टैक्स इन्वाइसेस / बिक्री बिलों को संकलित कर इन्हें संबंधित कर निर्धारण अधिकारियों को प्रेषित किए जाने वाले एवं कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही समयानुसार सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए है तथा परिपत्र संख्या--(07-08)-495 / वाणिज्य कर दि0 8-01-08 जिसके प्रस्तर -4 में आठ वस्तुओं को संवेदनशील घोषित किया गया है, का संदर्भ लेने का कष्ट करें ।

विभिन्न ट्रेड्स के संदर्भ में प्राप्त अभिसूचना एवं उनसे प्राप्त होने वाले राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित वस्तुओं को अति संवेदनशील वस्तुओं की श्रेणी में चिन्हित किया जाता है :-

1- आयरन स्टील
2- पेपर
3- सुपाडी
4- वनस्पति
5- पान मसाला / गुटका
6- कोयला

प्रत्येक जोन की प्रर्वतन इकाईयॉ उपरोक्त माल के परिवहन से संबंधित वाहनों की जॉच तथा टैक्स इनवाइसेस / सेल इनवाइसेस संकलित करके ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0 नु0शा0 /प्र0) / ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) इटावा के माध्यम से संबंधित जोन के ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को अगलें कार्य दिवस में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगी । प्रर्वतन इकाईयों के द्वारा उक्त संवेदनशील वस्तुओं से संबंधित बिलों का संकलन दि0 21-4-08 सें दि0 28-4-08 तक अभियान के रुप में किया जाएगा । उक्त अवधि में संबंधित बिलों के संकलन की प्रगति की सूचना से संबंधित जोनल ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0 नु0शा0/प्र0), मुख्यालय को अवगत कराएगें । ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) उक्त संदर्भित बिलों के सत्यापन की कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट से मुख्यालय को अवगत कराएगें तथा यह भी अवगत कराएगें कि सत्यापन के उपरान्त इन व्यापारियों के संबंध में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में अग्रिम कार्यवाही, यथा अर्थदण्ड / अस्थाई कर निर्धारण आदि, समयबद्ध ढ़ंग से सुनिश्चित की गई है अथवा नही ।

निर्देशों का अनुपालन तत्काल कठोरता से सुनिश्चित किया जाए ।

(सुनील कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव , संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2- अध्यक्ष , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।
3- समस्त सदस्य , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश।
4- संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान , गोमतीनगर , लखनऊ
5- समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर , मुख्यालय।
6- चेक पोस्ट अनुभाग/ वैट अनुभाग / कम्प्युटर / मैनुअल / विधि / जनसम्पर्क अनुभाग को 25/ 5/ 5/5/ 10 प्रतियॉ अतिरिक्त।

(जगमोहन लाल शर्मा)
ज्वाइंट कमिश्नर (चे0पो0) वाणिज्य कर ,
मुख्यालय , लखनऊ।